(वाद संख्या–942/4/28/2019)

15.10.2020

अध्यक्ष के अनुपस्थित रहने के कारण संचिका सुनवाई हेतु अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थापित किया गया।

परिवादी विजय कुमार सिंह स्वयं उपस्थित हैं।

परिवादी को सुना।

प्रसंगाधीन मामला बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चार–पांच वर्षों की प्रतियोगिता परीक्षा एक साथ एक ही प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा लिए जाने से संबंधित निर्णय के कारण 65वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने से सम्बन्धित अनुरोध हेतु लाया गया है।

संचिका के साथ संलग्न कागजातों का अवलोकन किया।

परिवादी का कथन है कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा पूर्व में राज्य सरकार के राजपत्रित सेवाओं के प्रत्येक वर्ष की रिक्तियों के विरूद्ध नियुक्ति हेतु **प्रत्येक वर्ष** परीक्षा ली जाती थी, लेकिन इधर बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चार–पांच वर्षों की रिक्तियों के विरूद्ध संयुक्त रूप से एक ही संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा ली जा रही है जिससे अभ्यर्थियों को प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने का अपेक्षाकृत कम अवसर मिल पाता है जो उनके मानवाधिकार अतिक्रमण की श्रेणी में आता है।

परिवादी का यह भी कथन है कि चार–पांच वर्षों की रिक्तियों के विरूद्ध एक साथ संयुक्त रूप से एक ही प्रतियोगिता परीक्षा लिये जाने से वह 65वीं प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने से वंचित हो गया है।

उक्त के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि राज्य सरकार के अधीन सरकारी सेवाओं में नियोजन के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने के लिए सीमा का निर्धारण नहीं किया गया है, अर्थात प्रत्येक अभ्यर्थी नियोजन के लिए न्यूनतम आयु से अधिकतम आयु तक जितनी बार चाहें, आवेदन कर सकते हैं।

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना द्वारा यह भी प्रतिवेदित किया गय है कि किसी कारणवश आयोग को प्रति वर्ष अधियाचना भेजना संभव न हो सके, तो वैसी स्थिति में जो उम्मीदवार अंतिम विज्ञापन/परीक्षा के समय उम्र के आधार पर पात्रता रखते थे और उसके बाद भी अगले वर्ष या उसके बाद वाले वर्ष में भी परीक्षा होने पर परीक्षा में भाग लेने हेतु अधिकतम उम्र सीमा के आधार पर योग्य होते, परन्तु विज्ञापन नहीं होने के कारण अधिकतम उम्र सीमा पार कर जाते हें और कालक्रम में अगली परीक्षा हेतु विज्ञापन निकालते समय उम्र सीमा के आधार पर अयोग्य हो जाते हें, तो वैसे अभयर्थियों को ऐसी परीक्षा में भाग लेने का अवसर दिया जाए तथा मात्र उम्र के आधार पर होने की स्थिति में उन्हें परीक्षा में भाग लेने से वंचित नहीं किया जाए। नियुक्ति के लिए विज्ञापन प्रकाशित करते समय सभी आयोग यथास्थिति इस परिपत्र के प्रावधानों का पालन करते हैं।

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना द्वारा यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि 65वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा दिनांक–15.10.2019 को ही आयोजित हो चुकी है। प्रतिवेदनानुसार 65वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अब अधिकतम आयु सीमा में छूट देने अथवा एक अवसर देने का समय व्यतीत हो चुका है।

प्रसंगाधीन मामले में यह एक स्वीकृत तथ्य है कि 65वीं प्रतियोगिता परीक्षा के विज्ञापन में उल्लिखित शर्त्तों/पात्रता के आधार पर ही उक्त परीक्षा आयोजित की गयी है। मानवाधिकर आयोग 65वीं प्रतियोगिता परीक्षा के विज्ञापन में उल्लिखित शर्त्तों/पात्रता की वैधता पर विचार नहीं कर सकता है। इस संबंध में विचार करने का क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है। मानवाधिकार आयोग सरकारी नियम के अनुपालन में ही किसी के मानवाधिकार हनन के विषय में विचार करता है।

यहां यह उल्लेखनीय है कि 65वीं प्रतियोगिता परीक्षा के आयोजन हेतु प्रकाशित विज्ञापन में उल्लिखित शर्त्तों/पात्रता के आधार पर परिवादी उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु पात्रता नहीं रखते थे। वैसे भी 65वीं प्रतियोगिता परीक्षा की मुख्य परीक्षा तक

समाप्त हो चुकी है तो ऐसी स्थिति में भी उक्त प्रतियोगिता परीक्षा की शर्त्तों/पात्रता पर विचार किया जाना कालबाधित भी होगा।

अतः उपरोक्त परिस्थिति में प्रसंगाधीन मामले को मानवाधिकार अतिक्रमण की श्रेणी में न पाकर आयोग के स्तर पर इसे संचिकास्त किया जाता है।

तद्नुसार सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के प्रतिवेदन (पृ0–31–32/प0) की प्रति संलग्न कर परिवादी को सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य।

निबंधक